संचिका सं0–7/सदर एवं अनु0अस्प0–23–01/2025–26.–...13...(7 B)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक– / 01/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के सदर अस्पतालों में संचालित डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/ वजिफा के भुगतान हेतु कुल रू0 3,30,000/– (रूपये तीन लाख तीस हजार) मात्र व्यय निमित आवंटन की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–10)1) दिनांक–08.01. 2021, संकल्प संख्या–776(1) दिनांक–29.11.2023 एवं विभागीय पत्रांक–03(1) दिनांक–03.01.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के सदर अस्पतालों में संचालित डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/ वजिफा के भुगतान हेतु कुल रू0 3,30,000/– (रूपये तीन लाख तीस हजार) मात्र व्यय निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस/ पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल, विपत्र कोड–20-2210-01-110-0013 अंतर्गत छात्रवृति/ वजिफा (34–01) मद में में उपबंधित/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार होंगे।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी सुसंगत प्रपत्रों के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

(6) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(7) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561/वि0 (2) दिनांक–17.4.1998 एवं संकल्प सं0–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(8) वित्त विभाग द्वारा किये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र **BTC Form 42A** पर तैयार करते हुए नियमानुसार व ससमय महालेखाकार के कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(9) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संख्या–7/सदर एवं अनु0अस्प0–23–01/2025–26 के पृ0–37/टि0 पर प्राप्त है ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, एतद्संबंधी आवंटनादेश अलग से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– सदर एवं अनु0अस्प0–23–01/2025–26 13 (7B)/स्वा0, पटना, दिनांकः– 27/01/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी, /कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त, सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/ संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/ संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ अधीक्षक/उपाधीक्षक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07 एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

मुजफ्फरपुर जिला को डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/ वजिफा के भुगतान हेतु आवंटित की जाने वाली राशि–

क्रमाक	जिला का नाम	आवंटित राशि (रूपयें मे)
1	मुजफ्फरपुर	3,30,000/–

(रूपये तीन लाख तीस हजार) मात्र

सरकार के अपर सचिव